राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 16 मई, 2013 / 26 वैशाख, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 09 मई, 2013

संख्याः श्रम (ए) 4–6/2010–बी.ओ.सी.डब्ल्यू पार्ट–IV.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञता समिति से परामर्श के पश्चात्, सरकार की अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4–6/2007–बी.ओ.सी.डब्ल्यू तारीख 4 दिसम्बर, 2008, द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) संशोधन नियम, 2013 है।

2. **नियम 266 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 266 के उप–नियम (4) में "5 रूपये" अंक और शब्द के स्थान पर "एक रूपया "शब्द रखे जाएंगे।

3. **नियम 267 का प्रतिस्थापन.**–उक्त नियमों के नियम 267 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

" 267 निधि के लिए अंशदान.–

(1) निधि का हिताधिकारी तीन वर्ष के लिए निधि में केवल 9 रूपए का अंशदान करेगा। यह अंशदान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रिम में जमा किया जाएगा।

(2) निधि का हिताधिकारी तीन वर्ष के पश्चात् आगामी तीन वर्षों के लिए केवल 15/– रूपए की फीस के संदाय पर सदस्यता का नवीनकरण करवा सकेगा।

(3) यदि कोई हिताधिकारी उप–नियम (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि के लिए अंशदान का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो वह निधि का हिताधिकारी नहीं रहेगा। तथापि सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

अधिकारी की अनुज्ञा से, प्रतिमास केवल 2/— रूपए के जुर्माने सहित, संदाय पर इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा पुनरार्म्भ केवल दो बार ही अनुज्ञात किया जाएगा, सदस्यता पुनः आरम्भ कर सकेगा। "।

4. **नियम 278 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 278 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड, हिताधिकारी की मृत्यु होने की दशा में, मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई हो, निधि के मृतक सदस्य के नामनिर्देशितियों/आश्रितों को केवल एक लाख रूपए की रकम मंजूर कर सकेगा।"

5. **नियम 280 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 280 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**280 हिताधिकारियों के लिए चिकित्सा सहायता.**— बोर्ड, हिताधिकारियों को चिकित्सा उपचार के लिए केवल सरकारी अस्पतालों/सरकार द्वारा अनुमोदित/पैनलित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिलों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रतिवर्ष केवल 5000/— रूपए तक की वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा। आवेदन प्ररूप —42 पर ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत किए जाएंगे।"।

6. **नियम 281 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 281 के उप—नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता.**—(1) बोर्ड, निधि के सदस्यों के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा सकेगाः —

क्रम संख्या	अध्ययन का पाठ्यक्रम/और स्तर/मानदण्ड रूपए	रकम (प्रतिवर्ष)
1.	पहली से पांचवी स्तर तक	1,000.00
2.	छठी से आठवीं स्तर तक	1,200.00
3.	नौवीं से दसवीं स्तर तक	1,500.00
4.	10+1 एवं 10+2 स्तर तक	2,000.00
5.	**(क) स्नातक कक्षाएं :**	
	(i) कला स्नातक (ii) बी.एस.सी./बी. कॉम बी.बी.ए. या इसके समतुल्य	2,500.00 3,000.00
	(ख) स्नातकोत्तर :	
	(i) कला एवं वाणिज्य स्ट्रीम (ii) विज्ञान —स्ट्रीम	3,500.00 4,000.00
6.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि;	
	(i) एक वर्ष (ii) दो वर्ष (iii) तीन वर्ष	2,500.00 3,000.00 4,000.00
7.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम—उपाधियां	10,000.00
8.	पी एच डी, अनुसंधान पाठ्यक्रम	15,000.00

7. **नियम 282 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 282 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**282 विवाह के लिए वित्तीय सहायता.**—सदस्य, सदस्यता के दो मास के पूर्ण होने के पश्चात्, अपने बच्चे के विवाह के लिए केवल इक्कीस हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा और यह राशि उसे केवल दो बच्चों के विवाह तक ही अनुज्ञात की जाएगी। इस सहायता

के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा प्ररूप–44 में सचिव या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत किया जाएगा।"।

8. **नियम 283 (ख) का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 283 (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

" **283(ख) महिला कर्मकारों के लिए साईकिल.**—महिला कर्मकारों को, जो निधि की दो मास से सदस्य हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए साईकिल के क्रय हेतु वाहन सहायता के रूप में केवल तीन हजार रूपए उपलब्ध करवाए जाएंगे।"।

9. **नियम 283 (ग) और 283(घ) का जोड़ा जाना.**—उक्त नियमों के नियम 283(ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:——

"**283 (ग) मिट्टी तेल / डीजल स्टोव भत्ता.**—बोर्ड, हिताधिकारियों को क्रय बिल को प्रस्तुत करने पर, मिट्टी तेल / डीजल स्टोव के क्रय हेतु केवल पन्द्रह सौ रूपए की रकम मंजूर कर सकेगा।

"**283 (घ) कौशल विकास भत्ता.**—बोर्ड, हिताधिकारियों के बच्चों को कौशल विकास भत्ता अपनाने के लिए निम्नलिखित दरों पर कौशल विकास भत्ता उपलब्ध करवा सकेगा :——

(*i*) पचास प्रतिशत तक या इससे अधिक की प्राकृतिक निशक्तता की दशा में केवल एक हजार पाँच सौ रूपए;

(*ii*) अन्य के लिए केवल एक हजार रूपए।

भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के हिताधिकारियों को कौशल विकास भत्ता ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार ने कौशल विकास भत्ता स्कीम, 2013, द्वारा अंगीकृत किया है। कौशल विकास भत्ता उन हिमाचलियों को प्रदान किया जाएगा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम दस जमा दो की शैक्षिक अर्हता रखतें हों और जो 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हों। उपरोक्त कौशल विकास भत्ता श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हिताधिकारी, उपरोक्त भत्ते को या तो बोर्ड से या सरकार से प्राप्त कर सकेंगे।"।

10. **नियम 285 का संशोधन.**—"उक्त नियमों के नियम 285 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

"(2) मृत्यु प्रसुविधा और चिकित्सा सहायता से अन्यथा इन नियमों के अधीन समस्त वित्तीय प्रसुविधाएं और जहां इन नियमों में सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट नहीं है, निधि की सदस्यता के दो मास के पूर्ण होने के पश्चात् ही संदेय होगी।''

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अति0 मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

———

(Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-6/2010-BOCW Part-IV dated 09-05-13 as required under article 348(3) of the Constitution of India).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 09*th May,* 2013

No. Shram(A)4-6/2010-BOCW–Part-IV.—In exercise of powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers(Regulation of Employment and Conditions of

Service) Act, 1996, the Governor of Himachal Pradesh, after consultation with the Expert Committee is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers(Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 published in Rajpatra Himachal Pradesh on dated 8th December, 2008 *vide* Government Notification No. Shram (A) 4-6/2007-BOCW dated 4th December, 2008, namely :—

1. **Short title.—** These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2013.

2. **Amendment of rule 266.—** In rule 266 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (4) for figure, words, signs and brackets "Rs.5/-(Rupees five) only" the figure, sings, words and brackets "Rs.1/- (Rupee one) only" shall be substituted.

3. **Substitution of rule 267.—**For rule 267 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"267 Contribution to the Fund.—(1) A beneficiary of the fund shall contribute to the fund Rs.9/- (Rupees nine) only for three years.This contribution shall be remitted in advance to the registering officer.

(2) The beneficiaries of fund may renew the membership after 3 years by paying renewal fee of Rs. 15/-(Rupees fifteen) only for next three years.

(3) If a beneficiary after expiry of 3 years as specified in sub-rules (1) and (2), commits default in the payment of contribution for a period of one year, he shall cease to be a beneficiary of the Fund. However, with the permission of the Secretary or an officer authorized by him in this behalf the membership may be resumed on payment of fine Rs.2/-(Rupees two) only per month subject to condition that such resumption shall be allowed twice only.".

4. **Amendment of rule 278.—** For sub-rule (1) of rule 278 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Board may sanction an amount of Rs.1.00 lac/- (Rupees one lac) only in the event of accidental death of beneficiary to the nominee/ dependents of the deceased member of the Fund.".

5. **Substitution of rule 280.—**For rule 280 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"**280 Medical Assistance to the beneficiaries**.—The Board may sanction financial assistance for the medical treatment of beneficiaries upto Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only per annum subject to the production of medical bills from Government Hospitals /Government approved/ empanelled Hospitals/Dispensaries only. The application in Form –XLII shall be submitted with such other documents as may be specified by the Board.".

6. **Amendment of rule 281.—**For sub-rule(1) of 281 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"**Financial Assistance for Education.**—(1) The Board may provide financial assistance for education of the children of members of the Fund at the following rates :—

Sr. No.	Course of study and Level/Standard	Amount *In Rs. (per.annum)*
1.	1st to 5th standard	1,000. 00
2.	6th to 8th standard	1,200. 00
3.	9th to 10th standard	1,500. 00
4.	10+1 & 10+2 standard	2,000. 00
5.	**Graduation classes**:	
	(i) Bachelor of Arts. (ii) B.Sc./B.Com./BBA or its equivalent.	2,500.00 3,000.00
	Post Graduation:	
	(i) Arts and Commerce Stream (ii) Science Stream	3,500.00 4,000.00
6.	**Diplomas courses duration of;**	
	(i) One year (ii) Two years (iii) Three years	2,500.00 3,000.00 4,000.00
7.	Professional courses/Degrees	10,000.00
8.	Ph. D, Research courses	15,000.00.".

7. Substitution of rule 282.— For rule 282 of the 'said rules' the following shall be substituted, namely :—

"**282 Financial Assistance for the marriage**.—The member after completion of two months of the membership shall be eligible to get financial assistance of Rs. 21,000/- (Rupees twenty one thousand) only for the marriage of his children and the same shall be allowed to him only upto the marriage of two children only. An application for this assistance shall be submitted by the applicant in Form-XLIV to the Secretary or an officer authorized by him in this behalf alongwith such other documents as may be specified by the Board.".

8. Substitution of rule 283(B).—For rule 283(B) of the 'said rules' the following shall be substituted, namely:—

"**283 (B) Bicycle to the lady workers**.—The female workers who have been members of the Fund for two months may be provided Rs. 3,000/- (Rupees three thousand) only as conveyance assistance for purchase of bicycle to discharge their duties.".

9. Addition of rules 283(C) and 283(D).—After rule 283 (B), of the 'said rules' the following shall be added namely:—

"283(C)Kerosene/Diesel Stoves allowance.—The Board may sanction an amount of Rs.1,500/- (Rupees one thousand five hundred) only to the beneficiaries for purchase of Kerosene/Diesel stoves on production of purchase bill.

283(D) Skill development allowance.—The Board may provide skill development allowance for undertaking the skill development programme to the children of beneficiaries at the following rates:—

(*i*) in condition of natural disability upto 50% and above 1,500/-(Rupees one thousand five hundred) only.

(*ii*) others 1,000/-(Rupees one thousand) only. The allowance for skill development to the beneficiaries of building and other construction workers welfare board fund shall be as adopted by the state Government in Skill Development Allowance Scheme-2013. Skill development allowance shall be provided to those himachalis who possess minimum 10+2 educational qualification from recognized board and shall be within the age group of 25-35. The aforesaid skill development allowance shall be provided by the Labour & Employment Department. The beneficiaries may avail the aforesaid allowance either from the Board or from the Government.".

10. Amendment of rule 285.—For sub – rule (2) of rule 285 of the 'said rules' the following shall be substituted , namely:—

"(2) All financial benefits under these rules, other than death benefits and medical assistance and where service condition is not specified in these rules, shall become payable only after the completion of two months of membership of Fund.".

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary(Lab.& Emp.).